

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2020—आश्विन 1, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.—यतः, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में विनिर्दिष्ट “नियुक्ति के लिए पात्रता” के प्रावधान संबंधी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 28 मई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

पैरा 4 एवं 5 में, शब्द “कोरबा” के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह “गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही” अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 23 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd September 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2012/1-3.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, dated 28th May, 2019 relating to the provision regarding “eligibility for appointment” specified in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

In Para 4 and 5, after the word “Korba” the words and symbol “Gaurela-Pendra-Marwahi” shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.